

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार।

पटना, दिनांक- 21.6.2016

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-101-आयुक्त-0001- मुख्य कार्यालय (विपत्र कोड N2053001010001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 11,84,37,000/- (ग्यारह करोड़ चौरासी लाख सैतीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-101-आयुक्त-0001- मुख्य कार्यालय (विपत्र कोड N2053001010001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के शेष 8 (आठ) माह में व्यय के लिये कुल ₹ 11,84,37,000/- (ग्यारह करोड़ चौरासी लाख सैतीस हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
10. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
11. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार।

पटना, दिनांक-

2016

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-101-आयुक्त-0001- मुख्य कार्यालय (विपत्र कोड N2053001010001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 11,84,37,000/- (ग्यारह करोड़ चौरासी लाख सैतीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-101-आयुक्त-0001- मुख्य कार्यालय (विपत्र कोड N2053001010001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के शेष 8 (आठ) माह में व्यय के लिये कुल ₹ 11,84,37,000/- (ग्यारह करोड़ चौरासी लाख सैतीस हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
10. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
11. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापंक-5/बजट 1-03/2016 सा10-.....16 /

पटना, दिनांक- 21-6 . 2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-101-आयुक्त-0001-मुख्य कार्यालय) आवंटन :-

क्र० सं०	कूट संख्या	प्रमडल का नाम प्राथमिक इकाई	घटना	मगध.गया	तिरहुत, मुजफ्फरपुर	सारण, छपरा	दरभंगा	कोशी, सहरसा	पूर्णिया	मुंगेर	भागलपुर	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01 01	वेतन	90,00,000	42,00,000	42,00,000	56,00,000	42,00,000	55,00,000	50,00,000	50,00,000	60,00,000	487,00,000
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	100,00,000	52,00,000	52,00,000	64,00,000	52,00,000	60,00,000	62,00,000	62,00,000	70,00,000	574,00,000
3	01 04	मकान किराया भत्ता	10,00,000	4,00,000	4,00,000	6,00,000	4,00,000	5,00,000	2,00,000	2,00,000	5,00,000	42,00,000
4	01 05	परिवहन भत्ता	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	92,000
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	1,00,000	50,000	50,000	20,000	50,000	50,000	20,000	20,000	30,000	3,90,000
6	01 07	अन्य भत्ता	50,000	20,000	20,000	10,000	20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	1,80,000
वेतन-भत्ता का योग			201,50,000	98,70,000	98,70,000	126,30,000	98,70,000	120,70,000	114,30,000	114,30,000	136,42,000	1109,62,000
7	11 01	यात्रा व्यय	30,000	30,000	30,000	40,000	60,000	10,000	50,000	40,000	60,000	3,50,000
8	13 01	कार्यालय व्यय	3,00,000	2,00,000	1,60,000	2,00,000	2,00,000	1,20,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	17,80,000
9	13 02	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	2,00,000	2,00,000	2,00,000	80,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	1,00,000	1,60,000	15,40,000
10	13 03	दूरभाष	60,000	60,000	60,000	60,000	50,000	40,000	50,000	50,000	20,000	4,50,000
11	13 04	विद्युत प्रभार	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	18,00,000
12	13 06	धर्ती / पोशाक	10,000	16,000	10,000	10,000	10,000	20,000	4,000	10,000	20,000	1,10,000
13	20 01	आतिथ्य व्यय	40,000	60,000	20,000	20,000	50,000	20,000	2,00,000	5,000	20,000	4,35,000
14	28 01	व्यावसायिक और विशेष सेवाएँ	2,00,000	1,00,000	1,00,000	80,000	1,50,000	80,000	1,00,000	40,000	1,60,000	10,10,000
योग :-			211,90,000	107,36,000	106,50,000	133,20,000	107,90,000	127,60,000	124,34,000	120,75,000	144,82,000	1184,37,000

(ग्यारह करोड़ चौरासी लाख सैतीस हजार रुपये) मात्र

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग